



Chic Simulation



जून 2024 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009 Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501 Email: help@groupdrishti.in

अनुद्रुत्

उत्त	ार प्रदेश	3
\triangleright	उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भूजल स्तर में सुधार	3
\triangleright	BHU के SWAYAM कार्यक्रम में नए पाठ्यक्रम जोड़े गए	4
\triangleright	खाद्य विकिरण	4
\triangleright	भारत छह वर्ष बाद गेहूँ का आयात करेगा	5
\triangleright	अग्निवीर भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में शामिल	6
>	IIT-BHU में फैकल्टी इंडक्शन	7
>	विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना	8
>	IIIT-A ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हासिल की	8
>	दो बच्चों की नीति	9
>	महाकुंभ	9
>	कर अंतरण की अतिरिक्त किस्त	10
>	नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	11
>	स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को ऋण प्रवाह	11
>	UP में ऊर्जा की मांग उच्च स्तर पर	12
>	उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	13
>	उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाओं में तेजी	14
>	प्रधानमंत्री मोदी का काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा	15
>	राष्ट्रीय महिला आयोग	15
>	PM-किसान योजना	17
>	वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास	18
\triangleright	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एग्रीकल्चर स्टार्टअप	18
>	मलेरिया उन्मूलन अभियान	20
\triangleright	एक परिवार, एक पहचान योजना	21
\triangleright	विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर संरक्षण केंद्र	22
\triangleright	तर्कहीन/निराधार गिरफ्तारी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन	23
\triangleright	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)	23
\triangleright	अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय	24
\triangleright	स्प्रिचुअल सर्किट डेवलपमेंट	25
\triangleright	UP-प्रगति त्वरक कार्यक्रम (UPPAP)	26
\triangleright	GST रिटर्न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे	27
\triangleright	रामपुर: चाकुओं का शहर	28
\triangleright	सुचेता कृपलानी की जयंती	29
\triangleright	उत्तर प्रदेश में 4 नए राजमार्गों की घोषणा	29
>	सस्टेनेबल सिटीज चेलैंज	30
	डायरिया रोको अभियान	30

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भूजल स्तर में सुधार

चर्चा में क्यों?

नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग-3 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 ज़िलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जिससे इन जिलों में क्रिटिकल ज*ोन* की संख्या कम हो गई है।

मुख्य बिंदुः

- प्रयागराज के भूजल विभाग ने बताया कि वे यह निर्धारित करने के लिये विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करते हैं कि कोई जिला सुरिक्षत,
 क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और अधिक पानी निकाले गए ज़ोन में आता है या नहीं। सबसे महत्त्वपूर्ण महत्त्व निकाले गए पानी की कुल मात्रा तथा पुनर्भरण के साथ इसका तुलना है। गहन वार्षिक मूल्यांकन के बाद, वे प्रत्येक जिले को तदनुसार वर्गीकृत करते हैं।
 - ◆ राज्य में जो जिले सुरक्षित जोन में हैं उनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बदायूं, चित्रकूट, महोबा, कानपुर नगर, कन्नौज, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- नमामि गंगे कार्यक्रत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है, यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था जिसने **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन** प्राधिकरण (NGRBA) को प्रस्थापित किया।
- इसके पास 20,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तपोषित, गैर-व्यपगत कोष है और इसमें लगभग 288 परियोजनाएँ शामिल हैं।
- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:
 - सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
 - रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
 - नदी-सतह की सफाईम एक एकीकृ
 - जैवविविधता
 - वनीकरण
 - जन जागरण
 - औद्योगिक प्रवाह निगरानी
 - 🔷 गंगा ग्राम

BHU के SWAYAM कार्यक्रम में नए पाठ्यक्रम जोड़े गए

चर्चा में क्यों?

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिये स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम के लिये 15 नए पाठ्यक्रम विकसित किये हैं। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित किये गए हैं।

मुख्य बिंदुः

- इन पाठ्यक्रमों में **प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और दर्शनशास्त्र** जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ BHU ने पहली बार **ऑनलाइन शिक्षा** के क्षेत्र में प्रवेश किया है।
 - यह पहल न केवल BHU की शैक्षिक पेशकश को समृद्ध करेगी बल्कि सभी के लिये सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के
 व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करेगी।
- पाठ्यक्रमों के लिये तकनीकी सहायता **IIT मद्रास और IIT कानपुर** द्वारा प्रदान की जाती है तथा यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने के संसाधन उपलब्ध कराना है, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या संस्थागत संबद्धता कुछ भी हो।

स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम

- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायिंग माइंड्स (SWAYAM) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई,
 2017 को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शरू किया गया था। जिसमें सभी उच्च शिक्षा विषय और कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक छात्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो।
- देश भर के सैकड़ों संस्थानों के शिक्षाविद वरिष्ठ स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक लगभग सभी विषयों में SWAYAM के माध्यम से बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) की पेशकश शामिल हैं।

खाद्य विकिरण

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार **वर्ष 2024 में 100,000 टन प्याज़ के बफर स्टॉक की शेल्फ लाइफ** बढ़ाने के लिये **विकिरण प्रसंस्करण (खाद्य विकिरण)** का उपयोग करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्याज़ की कमी और इसके मूल्य में वृद्धि को रोकना है।

• भारत, जो एक प्रमुख प्याज निर्यातक देश है, वर्ष 2023-24 मौसमीय अवधि (Season) में प्याज़ उत्पादन में 16% की गिरावट का सामना कर रहा है, जिससे उत्पादन अनुमानित 25.47 मिलियन टन तक कम होने की आशंका है।

- खाद्य विकिरण, भोजन और खाद्य उत्पादों को आयनकारी विकिरण जैसे गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन किरणों या एक्स-रे के संपर्क में लाने की प्रक्रिया है।
- भारत में विकिरणित खाद्य पदार्थों को परमाणु ऊर्जा (खाद्य विकिरण नियंत्रण) नियम, 1996 के अनुसार, विनियमित किया जाता है।
- महत्त्व
 - ♦ इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद के लिये किया जाता है।
 - ♦ मौसमी अतिभंडारण (Seasonal overstocking) और परिवहन में लगने वाला लंबा समय खाद्यान्न की बर्बादी का कारण बनता है।
 - भारत की गर्म आर्द्र जलवायु, फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों और सूक्ष्म जीवों के लिये प्रजनन स्थल है।
 - ♦ समुद्री भोजन (Seafood), मांस और मुर्गी में हानिकारक बैक्टीरिया तथा परजीवी हो सकते हैं, जो लोगों को बीमार कर सकते हैं।

भारत में प्याज उत्पादन:

- भारत दुनिया का **दुसरा सबसे बड़ा** (चरीन के बाद) प्याज उत्पादक देश है, जो वर्ष भर उपलब्ध तीखे प्याज के लिये प्रसिद्ध है।
- प्रमुख उत्पादकः भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है।
 - महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तिमलनाडु प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं।
 - ◆ वर्ष 2021-22 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में प्याज़ उत्पादन में महाराष्ट्र 42.53% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश 15.16% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।
- निर्यात गंतव्य: भारतीय प्याज के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं।

भारत छह वर्ष बाद गेहूँ का आयात करेगा

चर्चा में क्यों?


विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत, लगातार तीन वर्षों से निराशाजनक फसल उत्पादन के कारण घटते भंडार की पूर्ति तथा बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करन*े* हेतु **छह वर्ष के अंतराल के बाद गेहूँ का आयात शुरू करने की योजना** बना रहा है।

मुख्य बिंदुः

- पिछले 3 वर्षों में प्रतिकूल मौसम स्थिति के कारण भारत के गेहूँ उत्पादन में गिरावट आई है
- सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष गेहूँ की फसल पिछले वर्ष (2023) के रिकॉर्ड उत्पादन 112 मिलियन मीट्रिक टन से 6.25% कम होगी
- वर्ष 2024 में गेहूँ खरीद के लिये सरकार का लक्ष्य 30-32 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन वह अब तक केवल 26.2 मिलियन टन ही खरीद पाई है
- घरेलू स्तर में गेहूँ की कीमतें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर रही हैं जिसमें हाल ही में वृद्धि हो रही हैं।
 - इसिलिये सरकार ने गेहूँ पर 40% आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया है, तािक निजी व्यापारियों और आटा मिलों को रूस से
 गेहूँ आयात करने की अनुमित मिल सके।

गेहूँ:

- यह भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान फसल है तथा देश के उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी भागों की प्रमुख खाद्यान फसल है।
- गेहूँ, रबी की फसल है जिसे पिरपक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है।
 - हिरत क्रांति की सफलता ने रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ की वृद्धि में योगदान दिया।
- विश्व में शीर्ष 3 गेहूँ उत्पादक (2021): चीन, भारत और रूस
- भारत में शीर्ष 3 गेहूँ उत्पादक (2021-22 में): उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब
- भारत में गेहूँ उत्पादन और निर्यात की स्थिति:
 - भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। लेकिन वैश्विक गेहूँ व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 1% से
 भी कम है। यह इसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों को सिब्सिडी युक्त खाद्यान्त उपलब्ध कराने के लिये रखता है।
 - इसके शीर्ष निर्यात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हैं।
- सरकार द्वारा की गई पहलें:
 - मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें हैं।



अग्निवीर भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाराणसी में, तीसरे बैच के **अग्निवीरों** ने **भारतीय सेना** की 3 और 9 गोरखा राइफल्स में शामिल होने के लिये 'अंतिम पग' पार करते हुए 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र (GTC) के परेड ग्राउंड पर मार्च किया।

- 3 और 9 गोरखा राइफल्स **भारतीय सेना की गोरखा पैदल सेना रेजिमेंट** हैं।
 - ♦ ये भारतीय सेना की सात गोरखा रेजिमेंटों में से हैं। अन्य रेजिमेंट 1 GR, 4 GR, 5 GR (FF), 8 GR और 11 GR हैं।

मुख्य बिंदुः

- अग्निपथ योजना वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार वर्ष करी अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमित देता है। सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा।
 - ♦ इस योजना के तहत, प्रत्येक वर्ष लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, और जिनमें से अधिकतर सिर्फ चार वर्ष में
 ही सेवा छोड़ देंगे।
 - ◆ इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्ष के लिये भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25% को 15 वर्ष तक सेवारत रखने का प्रावधान है।

पात्रता मानदंडः

- ♦ यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों (जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं) के लिये है।
 - कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशेष रैंक रखते हैं। वे प्राय: राष्ट्रपित की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन रखते हैं
 और आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने के निर्देश दिये जाते हैं।
- 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

• उद्देश्य:

- ♦ इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफ़ाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है।
- ♦ इस योजना का लक्ष्य है कि आज सेना में जो औसत आयु 32 वर्ष है, वह छह से सात वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।

IIT-BHU में फैकल्टी इंडक्शन

चर्चा में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत IIT (BHU), वाराणसी में 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

मुख्य बिंदुः

- इस गहन कार्यक्रम में पूरे भारत से 40 प्रतिष्ठित संकाय सदस्य भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना और शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना है।
- मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः
 - ◆ इसका उद्देश्य **पूरे भारत में 15 लाख शिक्षकों** को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक कौशल से लैस करना है।
 - कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिये अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना
 है।
 - मानव संसाधन विकास केंद्रों (HRDC) का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्त्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों के समन्वय,
 निर्धारण तथा रखरखाव के लिये वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया।
- UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना** के लिये राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (NLCC) की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई।

• इस योजना में <mark>प्राथमिक कृषि ऋण समितियो**ं (PACS**) को **बहु-सेवा समितियों में परिवर्तित** करने की परिकल्पना की गई है।</mark>

मुख्य बिंदुः

- पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD),
 भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), नाबार्ड परामर्श सेवाएँ (NABCONS) के सहयोग से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया है।
 - ◆ NCDC नई दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय और अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।
 - NCDC की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी।
- सिमिति ने 11 राज्यों में अपनी पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे वर्ष 2023 में शुरू किया जाना है।
 - ◆ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तिमलनाडु, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों ने इसकी पायलट परियोजना को क्रियान्वित किया है।
- योजना में विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से PACS स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं:
 - ♦ कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि मशीनीकरण उप मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) आदि ।

IIIT-A ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हासिल की

चर्चा में क्यों?

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (IIIT,Allahabad) ने विश्व भर में 1,401 रैंकिंग हासिल की है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में 46वाँ स्थान हासिल किया है

- QS वर्ल्ड यर्ूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रत्येक वर्ष क्वाक्वेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds- QS) द्वारा जारी की जाती है।
- यह रैंकिंग विश्व भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है।
- इसकी कार्यप्रणाली अकादिमक प्रतिष्ठा, संकाय-छात्र अनुपात, नियोक्ता प्रतिष्ठा, स्थिरता, रोजगार परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क,
 प्रति संकाय उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात जैसे संकेतकों पर विचार करती है।
- वे विषय, क्षेत्र, छात्र शहर, बिज़नेस स्कूल और स्थिरता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करते हैं।

दो बच्चों की नीति

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार को हाल ही में उन दाव*ों* पर जाँच का सामना करना पड़ा, जिनमें कहा गया था कि उसने 7 जून, 2024 तक <mark>दो-बच्चों</mark> की नीति लागू कर दी है। हालाँकि, आधिकारिक बयानों के अनुसार ये रिपोर्टें झूठी हैं और ऐसी कोई नीति अभी तक लागू नहीं की गई है।

मुख्य बिंदुः

- हालाँकि इस तरह की नीति के लिये एक प्रारूप विधेयक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया है
 और विधि के रूप में तैयार नहीं किया गया है।
- उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने वर्ष 2021 में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप राज्य सरकार के साथ साझा किया था।
- उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 नामक प्रारूप विधेयक के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले दंपतियों को सरकारी नौकरियों, पदोन्नित या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदन करने की अनुमित नहीं होगी।
 - ◆ असम में भी ऐसी ही नीति लागू है, जो असम लोक सेवा (सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंड का अनुप्रयोग) नियम, 2019 के तहत दो से अधिक बच्चों वाले दंपती को सरकारी नौकरियों से वंचित करती है।

दो बच्चों की नीति

- आवश्यकताः
 - भारत की जनसंख्या पहले ही 125 करोड़ को पार कर चुकी है और उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन से आगे निकल जाएगा।
 - ♦ राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति (2000) होने के बावजूद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
 - ◆ इस प्रकार, भारत के प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं तथा उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है।
- आलोचनाः
 - 🔷 प्रतिबंधित बाल नीति के कारण शिक्षित युवाओं की कमी के कारण भारत की तकनीकी क्रांति में बाधा आएगी।
 - चीन (एक-बच्चा नीति के परिणामस्वरूप) के सामने आने वाली लैंगिक असंतुलन, अनिर्दिष्ट बच्चे (बिना दस्तावेज वाले माता-पिता के बच्चे) आदि जैसी समस्याएँ भारत को भी झेलनी पड़ सकती हैं।

महाकुंभ

चर्चा में क्यों?

एक आधिकारिक बैठक के बाद जारी एक बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का राज्य की अर्थव्यवस्था पर "बड़ा प्रभाव" पड़ेगा क्योंकि इस आयोजन में करोड़ों लोग शामिल होंगे।

• घरेलू और वैश्विक दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अनुसंधान किया जाना चाहिये तथा एक व्यावहारिक कार्य योजना बनाई जानी चाहिये।

- आधिकारिक बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा
 में चल रहे प्रयासों, वर्तमान परिणामों और भविष्य की नीति पर चर्चा की।
 - इस बात पर जोर दिया गया कि सभी मंत्रीगण और विरष्ठ अधिकारी जीवन को आसान बनाने तथा अधिकतम रोजगार सृजन की दिशा में विशेष प्रयास करें।

- राज्य का कुल **सकल घरेलू उत्पाद (GDP**) वर्ष 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा।
 - ◆ उत्तर प्रदेश **राष्ट्रीय आय** में 9.2% का योगदान दे रहा है तथा देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का इंजन बनकर उभर रहा है।
 - ◆ राज्य की बेरोज़गारी दर जो वर्ष 2017-18 में 6.2% थी वर्ष 2024 में घटकर 2.4% हो गई है।

महाकुंभ

- कुंभ मेला संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की
 प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है।
- यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान तीर्थयात्री पिवत्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं।
 - यह **नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी,** हरिद्वार में गंगा व प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं पौराणिक नदी सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है
- चूँिक यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिससे यह **सांस्कृतिक रूप से विविध त्योहार** बन जाता है।
- एक महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में एक विशाल तंबूनुमा बस्ती का निर्माण किया जाता है, जिसमें झोपड़ियाँ, मंच, नागरिक सुविधाएँ, प्रशासनिक और सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं।
 - इसका आयोजन सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है।
- यह मेला विशेष रूप से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं के सुदूर स्थानों से आये धार्मिक तपस्वियों की असाधारण उपस्थिति के लिये प्रसिद्ध है।

कर अंतरण की अतिरिक्त किस्त

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश को नई सरकार के तहत **केंद्रीय वित्त मंत्रालय से <mark>कर अंतरण के लिये अतिरिक्त भुगतान</mark> के रूप में 25,495 करोड़ रुपए** प्राप्त हुए, जो **देश में सबसे अधिक राशि** थी।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस धनराशि से राज्यों को विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने का अवसर मिलेगा।

मुख्य बिंदुः

- यह राशि जून 2024 माह के लिये हस्तांतरण राशि के अतिरिक्त राज्यों को करों के अंतरण की एक अतिरिक्त किस्त के रूप में दी गई
 है।
- कर अंतरण में अधिकतम आवंटन के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, उसके बाद बिहार (14,056.12 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (10,970.44 करोड़ रुपए) तथा पश्चिम बंगाल (10,513.46 करोड़ रुपए) का स्थान रहा।

कर अंतरण

- कर अंतरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण को संदर्भित करता है। यह संघ तथा राज्यों के बीच उचित
 एवं न्यायसंगत तरीके से कुछ करों की आय को आवंटित करने के लिये स्थापित एक संवैधानिक तंत्र है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3)(a) में कहा गया है कि वित्त आयोग (FC) कर्ी जिम्मेदारी संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विभाजन के संबंध में सिफारिशें करना है।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित** करने की अपनी योजना की घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि जेवर स्थित नोएडा अंतर्राषर्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा इसे
 भारत में पहली बार एशिया-प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की आकांक्षा है।

मुख्य बिंदुः

- राज्य सरकार ने घोषणा की कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य यात्रियों और उड़ान संचालन क्षमताओं को विश्व स्तरीय मानकों तक बढ़ाना है।
 - पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है।
 - ♦ यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा** होगा।
- सरकार ने ई-टेंडिंरिंग प्रणाली के माध्यम से हवाई अड्डे पर लाइसेंस जारी करने, संचालन का प्रबंधन करने और कर्मचारियों तथा सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने का कार्य किया है।
- यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार **हवाई अड्डे** को विकसित करने के लिये समर्पित है।
 - ◆ YIAPL पूरी तरह से ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG के स्वामित्व में है, जो स्विस फर्म है जिसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के लिये रियायतकर्त्ता अनुबंध प्राप्त किया है।
- वर्तमान में हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण के लिये निर्माण कार्य जरी है, जो 1,300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता
 है। पूरे हवाई अड्डे को चार चरणों में 5,000 हेक्टेयर में विकसित करने की योजना है।

नोट: इलेक्ट्रॉनिक टेंडर या ई-टेंडर ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बोली निविदाएँ भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है ई-टेंडरिंग खरीद प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर लाती है क्योंकि यह स्रोत-से-भुगतान (S2P) संचालन में बेहतर दृश्यता, अनुपालन और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है

ग्रीनफील्ड

- हवाई अड्डे आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं और विमानन गतिविधियाँ प्राकृतिक पर्यावरण को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पर्यावरण क्षरण में योगदान होता है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में
- इस मुद्द**े** से निपटने के लिये **भारत सरकार ने वर्ष 2008 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (GFA) नीति** पेश की
- इसका प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा शहरी हवाई अङ्डों से हवाई यातायात को शहरी केंद्रों से परे बाह्य क्षेत्रों स्थापित करना है, जिससे प्रदूषण और पर्यावरणीय तनाव कम होता है
- उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: कुशीनगर (अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा)

स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को ऋण प्रवाह

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने और स्वरोज़गार के अवसर सृजन करने हेतु स्टार्टअप तथा ग्रामीण उद्यमों को संस्थागत ऋण प्रवाह को आसान बनाया है।

 इसके अलावा, राज्य पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन को बेहतर बनाने और रोज़गार सृजन के लिये दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदुः

- राज्य ने दो ऋण योजनाओं के तहत लगभग 8,300 उद्यमों को वित्तपोषित करने की योजना बनाई है: मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना
 (MYSY) और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना (MMGRY)।
 - ◆ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की रिपोर्ट के अनुसार, MYSY और MMGRY के तहत क्रमश: 6,259 तथा 723 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है।
- स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को 163 करोड़ रुपए से अधिक का संस्थागत वित्त पोषण मिला है।
 - ♦ MYSY के तहत, राज्य उद्योग स्थापित करने के लिये 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र की संस्थाओं के लिये 10 लाख रुपए तक का ऋण पुंदान करता है।
 - ◆ उत्तर प्रदेश में लगभग 52 सरकारी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर हैं और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के साथ 7,200
 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं।
- हस्ताक्षरित समझौतों से स्थायी पर्यटन और सामुदायिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा सुविधाओं एवं बुनियादी ढाँचे में वृद्धि होगी, जिससे पर्यटकों को स्थानीय ग्रामीण जीवन का एक प्रामाणिक अनुभव मिलेगा।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) और मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

UP में ऊर्जा की मांग उच्च स्तर पर

चर्चा में क्यों?

प्रिड इंडिया पावर सप्लाई रिपोर्ट के अनुस**ार, उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र** और गुजरात जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 28,889 मेगावाट (MW) विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया।


मुख्य बिंदुः

- उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण विद्युत ऊर्जा की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।
 - महाराष्ट्र, गुजरात, तिमलनाडु और राजस्थान ने क्रमश: 24,254 मेगावाट, 24,231 मेगावाट, 16,257 मेगावाट और 16,781 मेगावाट की
 मांग पूरी की।
- उत्तर प्रदेश के विद्युत ऊर्जा विभाग ने बढ़ती मांगों के बावजूद अपने सुदृढ़ ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का प्रदर्शन करते हुए पीक ऑवर्स के दौरान सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा आपूर्ति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

हीट वेव

- हीट वेब्स अत्यधिक गर्म मौसम की वह लंबी अविध है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिये यहाँ विशेष रूप से हीट वेव का खतरा बना रहता है, जिसकी हाल के वर्षों में पुनरावृत्ति अधिक हो गई है।
- भारत में हीट वेव घोषित करने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मानदंड:
 - जब तक किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिये कम से कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कम से कम
 30°C तक नहीं पहुँच जाता, तब तक हीट वेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

- ♦ यदि किसी **क्षेत्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर** है, तो **सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की** वृद्धि को हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
 - इसके अलावा, सामान्य तापमान से 7°C या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
- ♦ यदि किसी क्षेत्र का **सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक** है, तो **सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को हीट** वेव की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा, 6°C या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
- ♦ इसके अतिरिक्त, यदि **सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या उससे अधिक** रहता है, तो हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है।



उत्तर प्रदेश बाढ प्रबंधन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश ने राज्य को संभावित बाढ़ से बचाने के लिये व्यापक तैयारियाँ शुरू की हैं।

उन्होंने अधिकारियों को एक **मज़बूत बाढ़ प्रबंधन योजना** बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें स्थानीय **निवासियों और पशुओं को सुरक्षित** क्षेत्रों में शीघ्र स्थानांतरित करने पर ज़ोर दिया गया है।

- राज्य प्रशासन ने उत्तर प्रदेश को तीन बाढ़ प्रबंधन क्षेत्रों में विभाजित किया है: 29 अत्यधिक संवेदनशील ज़िले, 11 संवेदनशील ज़िले और 35 सामान्य जिले।
 - ऐसंचाई, कृषि और पशुपालन विभागों के अधिकारियों की टीमें इन क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं।

- तैयारी बढ़ाने के लिये सात राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) टीमें, 18 राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) टीमें और 17 प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) टीमें रणनीतिक रूप से तैनात की गई हैं।
 - राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिये 400 प्रतिबद्ध व्यक्तियों को 'आपदा मित्र' तथा 10,500 स्वयंसेवकों को तैयार किया है।
 - ♦ इसके अलावा, तैयारियों को बढ़ाने के लिये सभी जिलों को विस्तृत बाढ़ तैयारी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force- NDRF)

- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक भारतीय विशेष बल है।
- भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये केंद्र सरकार में 'नोडल मंत्रालय'
 गृह मंत्रालय (MHA) है।
- यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया हेतु बुलाया जाता है।

आपदा मित्र योजना

- परिचय:
 - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
 - ◆ यह आपदा-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है, जिसमें आपदाओं के समय प्रथम आपदा मित्र अर्थात् बचाव कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- उद्देश्यः
 - योजना के तहत समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान के रखते हुए आवश्यक कौशल प्रदान करना जिससे वे आकस्मिक बाढ़ और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत एवं बचाव कार्य करने में सक्षम हो सकें।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाओं में तेज़ी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये घाटमपुर और ओबरा C ताप विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी ला रही है।

- इन परियोजनाओं के लिये संयुक्त पूंजीगत व्यय (Capex) 32,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
- घाटमपुर परियोजना (1,980 मेगावाट) की अनुमानित लागत 19,006 करोड़ रुपए है और इसका विकास नेवेली उत्तर प्रदेश पावर (NUPPL) द्वारा किया जा रहा है।
- घाटमपुर परियोजना की सभी तीन इकाइयों के सत्र 2024-25 में चालू होने की उम्मीद है, जिसमें राज्य को विद्युत उत्पादन का 75% प्राप्त होगा।
- ओबरा C थर्मल पावर प्लांट (1,320 मेगावाट) की लागत कीमतों और विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण बढ़ गयी।
- राज्य **ओबरा की बढ़ी हुई लागत का 70%** हिस्सा उधार के माध्यम से पूरा करेगा, जबकि **शेष 30% हिस्सा शेयर पूंजी** के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

पुंजीगत व्यय

- इसका उपयोग सतत् प्रकृति की परिसंपत्तियों को बढ़ाने या आवर्ती देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है।
 - ◆ **उदाहरण:** नए स्कूल या नए अस्पताल बनाने पर किया गया व्यय। इन सभी को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनसे नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

प्रधानमंत्री मोदी का काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में **वाराणसी** का दौरा किया, जो **तीसर**ी **बार** पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी इस पवित्र नगरी की पहली यात्रा थी।

मुख्य बिंदुः

- उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया।
- यह कॉरिडोर मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ता है और भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है।
- उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शकों को संबोधित करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने अतीत में हुए आक्रमणों और इसकी छवि को धुमिल करने के प्रयासों के बावजुद शहर की दृढता पर भी प्रकाश डाला।
- उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना की।
- शाम को प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल हुए। यह यात्रा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जो वाराणसी तथा उसके भव्य मंदिर के सार को सम्मान देती है।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा गंगा नदी के घाटों को जोड़ता है।
- काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है।
- यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है तथा बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सबसे पवित्र शिव मंदिर है।
- काशी विश्वनाथ धाम भारत के शीर्ष तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है क्योंकि आँकड़ों के अनुसार विगत दो वर्षों में लगभग 12.9 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर का दर्शन किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं, उसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र का स्थान रहा।

- वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज की गई 12,648 शिकायतों में से 6,492 शिकायतों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जिसके बाद 1,119 शिकायतों के साथ दिल्ली दूसरे और 764 शिकायतों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा।
 - ◆ तिमलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों से भी शिकायतों की संख्या अलग-अलग रही।
- सबसे अधिक शिकायतें, कुल 3,567, "<mark>गरिमा के अधिकार"</mark> से संबंधित श्रेणी में दर्ज की गईं, जिसमें <mark>घरेलु हिंसा</mark> के अलावा उत्पीड़न भी शामिल है।

- इसके बाद घरेलू हिंसा की 3,213 शिकायतें, दहेज उत्पीड़न की 1,963 शिकायतें, छेड़छाड़ की 821 शिकायतें, महिलाओं के प्रति पुलिस की उपेक्षा की 524 शिकायतें तथा बलात्कार के प्रयास की 658 शिकायतें दर्ज की गईं।
- मिणपुर, जहाँ बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग में केवल छह शिकायतें दर्ज कीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW)

- NCW भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
- इसका गठन जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया था, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
 में परिभाषित किया गया था।
- NCW का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दों एवं चिंताओं के लिये अभिव्यक्ति
 प्रदान करना है।
- दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं।
- NCW **हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार** करता है और मामलों की जाँच करता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा राष्ट्रीय महिला आयोग को अब तक प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या			
राज्य	शिकायतें		
उत्तर प्रदेश	6,492		
दिल्ली	1,119		
महाराष्ट्र	764		
बिहार	586		
मध्य प्रदेश	516		
हरियाणा	509		
राजस्थान	409		
पश्चिम बंगाल	307		
कर्नाटक	305		
तमिलनाडु	304		
अन्य	1,337		

PM-किसान योजना

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने **किसान कल्याण** के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)** की **17वीं किस**्त के वितरण की अनुमति दी।

मुख्य बिंदुः

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) के तहत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त दी जाएगी।
 - ♦ अब तक PM-िकसान के तहत 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये गए।
- कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम (KSCP) का उद्देश्य कृषि सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर, कृषि सखियों को पैरा-विस्तार कार्यकर्त्ताओं के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है।
- यह प्रमाणन पाठ्यक्रम "लखपित दीदी" कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप भी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)

- इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतिरत करती है, चाहे उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो।
 - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
- उद्देश्यः
 - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिये
 विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में छोटे तथा सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
 - ◆ उन्हें ऐसे व्ययों को पूरा करने के लिये **साहूकारों से बचाना** तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

लखपति दीदी योजना

- सरकार का लक्ष्य गाँवों में दो करोड़ "लखपित दीदी" (समृद्ध बहनें) तैयार करना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तीकरण के व्यापक मिशन से जुड़ी है।
- इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तािक वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें।
- विशेषताएँ:
 - कृषि गतिविधियों के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - इस नई पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर कृषि परिदृश्य में बदलाव लाना तथा ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।
 - 🔷 लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
 - यह प्रशिक्षण न केवल आय सृजन के नए अवसर उत्पन्न करेगा बिल्क मिहलाओं को अत्याधुनिक कौशल से भी लैस करेगा।
 - ◆ ड्रोन में परिशृद्ध खेती, फसल निगरानी और कीट नियंत्रण को सक्षम करके कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।
 - ♦ इस योजना के तहत महिलाओं को LED बल्ब बनाने, प्लंबिंग आदि जैसे कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने <mark>वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे</mark> के लिये **2869.65 करोड़ रुपए** की अनुमानित लागत के साथ एक व्यापक विकास योजना को मंज़्री दी।

• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) इस परियोजना की देख-रेख करेगा, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

मुख्य बिंदुः

- इस परियोजना में एक नया टर्मिनल बनाना, रनवे को लंबा करना और एप्रन को विस्तृत करना शामिल है।
 - ♦ आगामी टर्मिनल 75,000 वर्ग मीटर में विस्तृत होगा, जो प्रतिवर्ष 6 मिलियन यात्रियों की सेवा करेगा तथा व्यस्त समय में 5,000 यात्रियों को संभाल सकेगा।
 - ◆ इसमें वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा तथा यात्रियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया जाएगा।
- हवाई अड्डा ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सौर ऊर्जा का उपयोग करने और प्राकृतिक प्रकाश को अधिकतम करने के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देकर पर्यावरण-अनुकूल हवाई अड्डे में परिवर्तित होने की राह पर है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

- इसका गठन संसद के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 द्वारा किया गया था तथा यह 1 अप्रैल, 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिलाकर अस्तित्त्व में आया।
- इस विलय से एक संगठन अस्तित्त्व में आया जिसे देश में जमीन और हवाई क्षेत्र में नागरिक विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एग्रीकल्चर स्टार्टअप

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के **एग्रीकल्चर कमोडिटी स्टार्टअप्स** को केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** जैसे <mark>ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)</mark> और **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM)** से जोड़ने की योजना बना रही है।

- राज्य सरकार ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वह विशेष किसान उत्पादक सेल का उपयोग करके किसान उत्पादक संगठनों
 (FPO) को ONDC और ई-नाम से जोड़े, जिसका गठन शीघ्र ही किया जाएगा।
 - स्टार्टअप्स को किसी भी ई-कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने की स्वतंत्रता है।
- राज्य उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों जैसे इनपुट के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, साथ ही साथ बाजार यार्ड, वस्तु एवं सेवा कर (GST), भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लिये लाइसेंस एवं बाजार तक पहुँच के लिये ONDC व e-NAM प्लेटफार्मों के साथ जुड़कर एक खुले कृषि बाजार का समर्थन करने की योजना बना रहा है।
 - ♦ आत्मिनिर्भर कृषक समिन्वित विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3,240 FPO सिक्रय हैं।
 - आत्मिनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत 2,725 FPO का गठन किया जाएगा, जिससे 27.25 लाख शेयरधारक किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू करने हेतु उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग किया है।
 - ♦ उनका लक्ष्य भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII) के साथ साझेदारी में नवंबर 2024 में कृषि भारत वैश्विक किसान सम्मेलन आयोजित करना भी है।
 - लखनऊ में आयोजित चार दिवसीय कार्यक्रम में अमेरिका, जर्मनी, ब्राज़ील, इटली, पोलैंड, फ्राँस, स्पेन, इंडोनेशिया और केन्या सिंहत कई देशों के किसानों के शामिल होने की उम्मीद है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)

- ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र, खुले विनिर्देशों और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन-सोर्स पद्धित पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
- ओपन-सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) को सौंपा गया है।
- ONDC जिसका कार्यान्वयन एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) की तर्ज पर होने की उम्मीद है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा किये गए विभिन्न परिचालन पहलुओं को समान स्तर पर ला सकता है।
- विभिन्न परिचालन पहलुओं में विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग, विक्रेता की खोज, मूल्य की खोज और उत्पाद सूचीकरण आदि शामिल हैं।
- ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेन-देन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM)

- यह एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
- यह किसानों को अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेचने में सक्षम बनाता है, बिचौलियों को कम करता है, उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और स्थिरता को बढ़ाता है।

भारत में कृषि-निर्यात को बढावा देने हेतु अन्य सरकारी योजनाएँ

- **ऑपरेशन ग्रीन: <mark>ऑपरेशन ग्रीन</mark> फलों** और सब्जियों सहित आवश्यक कृषि वस्तुओं की आपूर्ति तथा कीमतों को स्थिर करने की एक पहल है।
 - ♦ इसका उद्देश्य मूल्य अस्थिरता को कम करना, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा सतत् कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है।
- बाज़ार पहुँच पहल (MAI): MAI एक ऐसा कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्षमता निर्माण और बाज़ार अनुसंधान सिहत निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों का समर्थन करता है। यह भारतीय कृषि निर्यातकों को नए बाज़ार तलाशने तथा बाज़ार तक पहुँच हासिल करने में सहायता करता है।
- कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिये योजना (SAMPADA): SAMPADA का उद्देश्य कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिये बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है, जिससे फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने, कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और भारतीय कृषि-उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- र**ाष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM): NHM जैविक खेती, परिशुद्ध खेती** और जल-उपयोग दक्षता सहित सतत् बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निर्यात के लिये उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों के उत्पादन का समर्थन करता है।
- **APEDA** (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण): **APEDA** अनुसूचित उत्पादों के निर्यात क**ो बढ़ावा** देने के लिये जिम्मेदार है तथा निर्यातकों के लिये स्थिरता, गुणवत्ता एवं प्रमाणन आवश्यकताओं के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- कृषि निर्यात क्षेत्रों Agri Export Zones- AEZ) की स्थापनाः विशिष्ट कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये देश के विभिन्न भागों में AEZ स्थापित किये गए हैं।
 - 🔷 ये क्षेत्र बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से सतत् कृषि निर्यात के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।
- जैविक खेती को बढ़ावा: सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम शुरू किये हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है और जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII)

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-नेतृत्व वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1895 में हुई थी।
- यह सलाहकारी और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार तथा नागरिक समाज के साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने एवं बनाए रखने के लिये कार्य करता है।

मलेरिया उन्मूलन अभियान

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने **वर्ष 2027 तक राज्य से <mark>मलेरिया उन्मूलन</mark> के लिये** तीव्र अभियान शुरू किया है। इस पहल में मलेरिया के प्रत्येक मामले की गहन जाँच और पूर्ण उपचार शामिल है।

मुख्य बिंदुः

- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून माह मलेरिया रोधी माह है, इस वर्ष राज्य में मलेरिया के 771 मामले सामने आए।
 - प्रयासों में बेहतर केस रिपोर्टिंग, प्रबंधन, तथा महामारी विज्ञान और कीट विज्ञान संबंधी जाँच में वृद्धि, साथ ही वेक्टर नियंत्रण उपायों में तेज़ी लाना शामिल है।
- अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता व्यापक सर्वेक्षण और परीक्षण कर रहे हैं तथा मलेरिया की रोकथाम एवं लक्षणों पर सामुदायिक शिक्षा जारी है
- जून के अंत में मानसून आने की संभावना है, जो मच्छर जनित बीमारियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण समय है, इसलिये मलेरिया की रोकथाम के लिये व्यापक गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
 - ♦ इनमें <mark>कीटनाशक</mark> का छिड़काव और फॉगिंग (Fogging) तथा सामुदायिक जागरूकता सेमिनार शामिल हैं।

मलेरिया

- मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है।
 - प्लाज्मोडियम परजीवी की पाँच प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से दो प्रजातियाँ पी. फाल्सीपेरम तथा पी. विवैक्स सबसे बडा खतरा हैं।
- मलेरिया मुख्य रूप से **अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** में पाया जात**ा** है।
- मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
 - मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद संक्रमित हो जाता है। मलेरिया परजीवी फिर मच्छर द्वारा काटे गए अगले व्यक्ति के
 रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं। परजीवी यकृत तक जाते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और **फ्लू जैसी बीमारी** शामिल है, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द तथा थकान शामिल है। उल्लेखनीय है कि मलेरिया के संक्रमण को रोका जाता सकता है एवं इसका उपचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector-Borne Disease Control Programme- NVBDCP)

• NVBDCP भारत में छह वेक्टर जिनत बीमारियों यानी मलेरिया, डेंगू, लिम्फैटिक फाइलेरिया, कालाज़ार, जापानी इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है।

एक परिवार, एक पहचान योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रत्येक परिवार को '<mark>परिवार पहचान-पत्र'</mark> जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

• उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक परिवार को सरकारी लाभ तथा कम-से-कम एक सदस्य को **रोज़गार के अवसर** सुनिश्चित करने के लिये परिवार पहचान-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

मुख्य बिंदुः

- "एक परिवार, एक पहचान" योजना के तहत, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान-पत्र प्राप्त होता है, जिससे राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार होता है
- यह डेटाबेस लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के प्रबंधन, समय पर लक्ष्य निर्धारण, पारदर्शी संचालन में सुधार करेगा और पहुँच को सरल बनाकर पात्र लोगों तक योजनाओं का 100% वितरण सुनिश्चित करेगा।
 - ◆ उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परिवारों के लगभग 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से लाभान्वित हो रहे हैं, जो अपने राशन कार्ड नंबर को अपने परिवार पहचान-पत्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं
 - ◆ राशन कार्ड विहीन 1 लाख से अधिक परिवारों को परिवार पहचान-पत्र जारी किये गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013
- उद्देश्य
 - इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- कवरेज
 - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
 - ♦ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रताः
 - ♦ राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
 - अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधानः
 - ♦ प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
 - ♦ हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत **मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।**
 - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
 - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
 - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थित में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
 - जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर संरक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश ने महाराजगंज ज़िले में एशियन किंग वल्चर (एशियाई गिद्ध) के लिये विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है।

मुख्य बिंदुः

- इस सुविधा प्रबंधन का उद्देश्य एशियन किंग वल्चर की जीवसंख्या में सुधार करना है, जिन्हें वर्ष 2007 से <mark>अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ</mark> की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, जहाँ गिब्दों की 24x7 निगरानी की जा रही है।
- एशियन किंग वल्चर (जिन्हें लाल सिर वाला गिब्द भी कहा जाता है) अपने आवासों के नुकसान और घरेलू पशु-पक्षियों में डाइक्लोफेनाक, एक नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID: आमतौर पर दर्द से राहत, सूजन को कम करने में कारगर दवा), जो **गिब्हों के लिये** जहरीला हो जाता है, के अत्यधिक प्रयोग के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
- वर्तमान में केंद्र में **नर तथा मादा गिब्हों का एक जोड़ा है।** एवियरी/पक्षीशाला में मौजूद तीन और मादाओं को धीरे-धीरे उनके नर सहचर मिल जाएँगे। यह पक्षीशाला 20 फीट गुणा 30 फीट की है।
- केंद्र का उद्देश्य बढ़ते गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उन्हें एक जोड़ा प्रदान करना है। एक बार मादा द्वारा अंडा देने के बाद, जोड़े को उनके प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा।

एशियन किंग वल्चर (Asian King Vultures)



- यह भारत में पाई जाने वाली गिद्ध की 9 प्रजातियों में से एक है।
- इसे **एशियन किंग वल्चर** या **पांडिचेरी गिद्ध** भी कहा जाता है, यह भारत में बड़े पैमाने पर पाया जाता था, लेकिन डाइक्लोफेनाक विषाक्तता के बाद इसकी संख्या में भारी कमी आई।
- संरक्षण स्थिति:
 - ♦ IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 1

तर्कहीन/निराधार गिरफ्तारी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में <mark>इलाहाबाद उच्च न्यायालय</mark> ने वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में <mark>गौहत्या अधिनियम, 1955</mark> के तहत आरोपित एक व्यक**्**ति की <mark>अग्रिम ज़मानत</mark> मंज़ूर कर ली।

न्यायालय ने कहा कि तर्कहीन रिनराधार और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

मुख्य बिंदुः

- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना पुलिस के लिये अंतिम उपाय होना चाहिये, ऐसा केवल असामान्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये, जब पूछताछ के लिये ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो।
- निराधार और मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ करना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।

अग्रिम ज़मानत (गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत)

- यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत के लिये आवेदन करने की अनुमित देता है।
- भारत में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत दी जाती है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।
- गिरफ्तारी-पूर्व ज़मानत का प्रावधान विवेकाधीन है और अदालत अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात जमानत दे सकती है।
- न्यायालय ज़मानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकती है, जैसे- पासपोर्ट जमा करना, देश छोड़ने से बचना या नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रश्नपत्र लीक करने वालों के लिये दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा तथा एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश ने सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-ज़मानती बना दिया है।
 - इन अपराधों की सुनवाई सत्र न्यायालयों द्वारा की जाएगी और ये गैर-समझौता योग्य होंगे तथा इनमें जमानत के लिये सख्त प्रावधान होंगे।

- अध्यादेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, UP बोर्ड, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएँ शामिल हैं।
 - ◆ इसमें सरकारी नौकरियों में नियमितीकरण और पदोन्नित के लिये परीक्षाएँ भी शामिल होंगी।
- अध्यादेश में फर्ज़ी प्रश्नपत्र वितरित करने और फर्ज़ी रोज़गार वेबसाइट बनाने पर भी दंड का प्रावधान है।
 - परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का दोषी पाए जाने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को ब्लैक लिस्ट में डालने की अनुमित देता है।
 - यदि कोई परीक्षा प्रभावित होती है, तो वित्तीय बोझ संबंधित लोगों से वसूला जाएगा।

अध्यादेश

- यह राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उस समय जारी किया गया आदेश या कानून है, जब विधानमंडल या संसद सत्र में नहीं होता है।
- अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति एक आपातकालीन शक्ति की प्रकृति है, जो केवल आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये कार्यपालिका को प्रदान की जाती है।
- अध्यादेशों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानः
- COI का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपित को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, जबिक अनुच्छेद 213
 राज्यपालों को विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।

संज्ञेय अपराध (Cognisable Offences)

- संज्ञेय अपराधों में कोई अधिकारी न्यायालय से वारंट प्राप्त िकये िबना ही िकसी संदिग्ध व्यक्ति का संज्ञान ले सकता है और उसे
 गिरफ्तार कर सकता है, यदि उसके पास यह "विश्वास करने का कारण" है िक उस व्यक्ति ने अपराध िकया है तथा वह इस बात से संतुष्ट है िक कुछ निश्चित आधारों पर गिरफ्तारी आवश्यक है।
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अधिकारी को न्यायिक मिजिस्ट्रेट से हिरासत की पुष्टि करानी होगी।
- विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट के अनुसार, संज्ञेय अपराध वे हैं जिनमें तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है।
- संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं जैसे- हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या आदि।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) केवल संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज की जाती है।

गैर-ज़मानती अपराध

- कोई भी अपराध जो CrPC की प्रथम अनुसूची या किसी अन्य कानून के तहत ज़मानतीय नहीं बताया गया है, उसे गैर-जमानती अपराध माना जाता है।
- गैर-ज़मानती अपराध का आरोपी व्यक्ति जमानत का अधिकार नहीं ले सकता। CrPC की धारा 437 में यह प्रावधान है कि गैर-ज़मानती अपराध के मामले में ज़मानत कब ली जा सकती है।

अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने <mark>अयोध्या</mark> में '**मंदिरों का संग्रहालय'** बनाने के लिये **टाटा संस** के प्रस्ताव को अनुमित दी, जिसकी अनुमानित लागत 750 करोड़ रुपए है।

मुख्य बिंदु

• राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, कंपनी अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) फंड का उपयोग करके परियोजना का प्रबंधन करेगी।

- पर्यटन विभाग इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिये कंपनी की ज़मीन को 90 वर्षों के लिये पट्टे पर देगा, जिसके लिये उसे
 मात्र 1 रुपए का शुल्क देना होगा।
- कंपनी मंदिर शहर में और अधिक विकास पिरयोजनाओं के लिये अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
- मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम को भी कैबिनेट से मंज़ूरी मिल गई है।
 - शुरुआत में 25 शोधकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को 40,000 रुपए दिये जाएँगे, जिसमें 30,000 रुपए भुगतान के लिये और फील्ड ट्रिप के लिये 10,000 रुपए और टैबलेट दिये जाएँगे। वे पर्यटन विकास में सहयोग करेंगे तथा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करेंगे।
- कैबिनेट बैठक के दौरान स्वीकृत अन्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे:
 - लखनऊ, प्रयागराज और किपलवस्तु में हेलीपैड बनाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ।
 - ♦ निष्क्रिय विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिये, जैसे- लखनऊ में कोठी रोशन दूल्हा, मथुरा में बरसाना जल महल और कानपुर में शुक्ला तालाब।
 - ♦ प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 को देश की नई दंड संहिता के रूप में लागू करना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी लागू किया जाएगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR)

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की अवधारणा यह विचार है कि कंपनियों को पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर अपने प्रभावों का आकलन करना चाहिये तथा उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये एवं सकारात्मक सामाजिक व पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिये।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के चार मुख्य प्रकार हैं:
 - पर्यावरणीय जिम्मेदारी
 - नैतिक जिम्मेदारी
 - परोपकारी जिम्मेदारी
 - आर्थिक जिम्मेदारी
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है या जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।
 - अधिनियम के तहत कंपिनयों को एक CSR सिमिति गठित करने की आवश्यकता होती है, जो निदेशक मंडल को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सिफारिश करेगी तथा समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी।

स्प्रिचुअल सर्किट डेवलपमेंट

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं।

• इन पहलों के अंतर्गत आध्यात्मिक सर्किट को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि इसकी विशाल क्षमता का दोहन किया जा सके।

मुख्य बिंदु

 उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों के सर्वेक्षण, अंतर विश्लेषण और UP पर्यटन नीति दस्तावेज 2022 के पालन सिंहत एक विस्तृत रणनीति को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

- योजना में 7 S- सूचना (Awareness), स्वागत (Welcome), सुविधा (Amenities), सुरक्षा (Safety), स्वच्छता (Cleanliness), संरक्षण (Infrastructure) और सहयोग (Support) के आधार पर मानकों को प्राथमिकता दी गई है।
- उत्तर प्रदेश ने पर्यटन क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगित की है और यह विश्वभर के पर्यटकों के लिये एक प्रमुख गंतव्य बन गया है।
 - ♦ काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या धाम के साथ-साथ उनके संबंधित गिलयारों के विकास से ये स्थल राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गए हैं।
 - वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में 30 करोड़ प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जो पर्यटन उद्योग में उत्तर प्रदेश की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करेगा।
- आध्यात्मिक सर्किट सिंहत विभिन्न सिर्किटों में पर्यटन विकास को रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) तैयार की जाएगी।
 - 🔷 चयनित एजेंसी पर्यटक अंतराल विश्लेषण के लिये सर्वेक्षण पद्धित तैयार करने हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेगी।
 - सर्वेक्षण रिपोर्ट में आगंतुकों की प्रतिक्रिया, फोटोग्राफी और वीडियो दस्तावेज़ीकरण शामिल होंगे।
- कार्ययोजना में DPR में उल्लिखित चयनित पर्यटन स्थलों पर आगंतुकों से फीडबैक एकत्र करना, पर्यटन आँकड़े एकत्र करना, विकास प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना शामिल है।
 - ◆ सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करके और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य इन स्थानों को प्रभावी ढंग से संचालित एवं उन्नत करना है।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC)

- इसकी स्थापना **वर्ष 1974** में हुई थी।
- उत**्**तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) की स्थापना का **मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के लिये पर्यटक आवास, रेस्तरां, पर्यटन सुविधाएँ उपलब्ध कराना** तथा मनोरंजन केंद्र खोलना है।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पैकेज टूर का आयोजन करना।

UP-प्रगति त्वरक कार्यक्रम (UPPAP)

चर्चा में क्यों?

बंगलूरु स्थित कृषि फर्म **किसानक्राफ्ट लिमिटेड**, उत्तर प्रदेश में **धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR)** को बढ़ावा देने के लिये **विश्व बैंक** के **जल संसाधन समूह (WRG**) की न्यून मीथेन चावल परियोजना में शामिल हो गई है।

- कंपनी ने बहु-स्थानीय परीक्षणों के लिये अपनी DSR बीज किस्मों को उपलब्ध कराने हेतु बीज कंपनियों **डेल्टा एग्री जेनेटिक्स** और **सवाना सीड्स** के साथ साझेदारी की
- इसने DSR कृषि पद्धति के लिये उपयुक्त **15 नई धान की किस्में** विकसित की हैं, जिसमें कम जल की आवश्यकता होती है।
- इन किस्मों की उपज के लिये DSR तकनीक में पडिलंग (मृदा को दलदली करना) करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मीथेन उत्सर्जन कम हो जाता है और जल की आवश्यकता भी आधी हो जाती है इसके अतिरिक्त कीटनाशकों एवं उर्वरकों का भी प्रयोग कम करना होता है
- कंपनी रायबरेली, सीतापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव और अयोध्या ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी।
- चावल भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जिसकी कृषि के लिये स्वच्छ जल का सबसे बड़ा हिस्सा प्रयुक्त होता है तथा सिंचित भूमि के 28% भाग पर इसकी हिस्सेदारी है।

 स्वच्छ जल की बढ़ती कमी और मृदा अपरदन के कारण, ड्राई डायरेक्ट सीडेड राइस (ड्राई-DSR) जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ अधिक लोकप्रिय हो रही हैं।

यूपी-प्रगति (UP-PRAGATI)

- उत्तर प्रदेश ने जल संसाधन समूह- 2030, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और निजी क्षेत्र के सहयोग से यूपी-प्रगित नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे राज्य में आय को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी और संस्थागत नवाचारों के माध्यम से कृषि में जल-उपयोग दक्षता एवं कम कार्बन प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- यूपी प्रगति कार्यक्रम का उद्देश्य हितधारकों के सहयोग से आगामी पाँच वर्षों में 250,000 हेक्टेयर में **पूरे राज्य में चावल का प्रत्यक्ष** बीजारोपण (**DSR**) को बढ़ावा देना है।

चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण (Direct Seeded Rice- DSR)

- चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण (DSR) जिसे 'बीज बिखेरना तकनीक (Broadcasting Seed Technique)' के रूप में भी जाना जाता है, **धान की बुवाई की एक जल बचत विधि है।**
- इस विधि में बीजों को सीधे खेतों में बुवाई की जाती है। नर्सरी से जलमग्न खेतों में धान की रोपाई की पारंपरिक जल-गहन विधि के विपरीत यह विधि भू-जल की बचत करती है।
- इस पद्धित में कोई नर्सरी तैयारी या प्रत्यारोपण शामिल नहीं है।
- किसानों को केवल अपनी भूमि को समतल करना होता है और बुवाई से पहले सिंचाई करनी होती

GST रिटर्न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Services Tax Network- GSTN) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, तिमलनाडु और महाराष्ट्र मासिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न में अगर्णी हैं, जो उनकी आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।

GST एक मूल्य वर्द्धित कर है जो घरेलू उपभोग के लिये बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।

मुख्य बिंदुः

- अप्रैल 2024 में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने अपने मासिक लेन-देन (GSTR-3B के रूप में) का सारांश देते हुए 908,900 से अधिक GST रिटर्न की सूचना दी।
 - ♦ औद्योगिक **तमिलनाडु ने 880,200 से अधिक GST रिटर्न** दाखिल किये।
 - ◆ महाराष्ट्र 798,600 से अधिक GST रिटर्न के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- मासिक रिटर्न दाखिल करने से राज्य में व्यावसायिक गतिविधि, अनुपालन स्तर, राजस्व क्षमता, कर प्रशासन दक्षता और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग प्रतिबंबित होती है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- GSTN भारत में GST के लिये एक अप्रत्यक्ष कराधान मंच प्रदान करता है।
- यह प्लेटफॉर्म करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने, भुगतान करने और अप्रत्यक्ष कर नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं तथा अन्य हितधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ प्रदान करता है।
- **GSTN एक सरकारी स्वामित्व और सीमित देनदारी वाली गैर-लाभकारी कंपनी** है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था।

- इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
 - ◆ GSTN बोर्ड ने जून 2022 में आयोजित अपनी 49वीं बोर्ड बैठक में इसे सरकारी कंपनी में बदलने की मंज़ूरी दी, अतः इसमें 100% हिस्सेदारी सरकार (50% केंद्र सरकार के साथ और 50% राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से) के पास होगी

रामपुर: चाकुओं का शहर

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के **रामपुर ज़िले** को **रामपुरी चाकू** उद्योग के कारण **"चाकुओं का शहर"** के रूप में जाना जाता है, जो 1**8वीं शताब्दी से ही** अपने **उत्कृष्ट चाकुओं** के निर्माण के लिये प्रसिद्ध **एक स्थापित ऐतिहासिक** गढ़ है।



- रामपुरी चाकू शहर की शिल्पकला का प्रतीक और शाही संरक्षण का प्रतिबिंब माने जाते हैं, जिसमें कौशल तथा पिरशुद्धता को महत्त्व
 दिया जाता था।
 - ♦ उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने ब्लेड को हड्डी, सींग और हाथीदाँत सिहत विभिन्न सामग्रियों से तैयार किये गए हैंडल द्वारा तैयार किया जाता था
 - 🔷 हैंडल प्राय: अलंकृत नक्काशी से सुशोभित होते थे, जिसके कारण प्रत्येक चाकू कला की एक बेहतरीन कृति होती थी
- 1990 के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश ने 4.5 इंच से अधिक लंबे ब्लेड वाले चाकुओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंसा को कम करने के उद्देश्य से किये गए इस नियमन ने रामपुर के पारंपरिक चाकू कारीगरी/निर्माण उद्योग को प्रभावित किया था।
 - ♦ हाल के दशकों में नियामक चुनौतियों के बावजूद भी यहाँ के कारीगरों ने कानूनी अनुकूलन के साथ चाकू कारीगरी की तःीक्ष्णता और जटिल शिल्प कौशल को बनाए रखते हुए अपनी विरासत को कायम रखा है।
- यह उपाधि रामपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थिति स्थापकता और शिल्प को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का सम्मान करती
 है, जिसने इसकी पहचान बनाई है तथा विश्व भर के चाकू प्रेमियों को आकर्षित किया है।

सुचेता कृपलानी की जयंती

चर्चा में क्यों?

स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति में अग्रणी व्यक्तित्त्व के रूप में उनके उल्लेखनीय योगदान की स्मृति में 25 जून, 2024 को सुचेता कृपलानी की जयंती मनाई जाएगी।

मुख्य बिंदुः

परिचयः

- वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिनका जन्म 25 जून, 1908 को हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था
- वह उन 15 महिलाओं में से एक थीं जिन्हें वर्ष 1946 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिये गठित नई भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था।

• प्रमुख योगदानः

- सुचेता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे आगे आईं और वर्ष
 1944 में उनकी भागीदारी के लिये अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
- वह 1940 के दशक के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के लिये महिला विंग अखिल भारतीय महिला कॉन्ग्रेस (AIMC) की संस्थापक थीं
- उन्होंने वर्ष 1946 में नोआखली में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई
- वह भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश, 1963) बनीं।

भारत छोड़ो आंदोलन

- 8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कॉन्प्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
- गांधीजी ने ग्वालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में "करो या मरो" का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता
 है।
- स्वतंत्रता आंदोलन की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया
 टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिये जाना जाता है।
- 'भारत छोड़ो' का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था।
 - मेहरअली ने "साइमन गो बैक" का नारा भी गढ़ा था।

उत्तर प्रदेश में 4 नए राजमार्गों की घोषणा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत अध्ययन और कार्य योजना के बाद चार नए लिंक एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की।



मुख्य बिंदुः

- रिपोर्ट के अनुसार, नए एक्सफ्रेसवे में <mark>पूर्वांचल एक्सप्रेसवे</mark> शामिल है, जो **आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे** से जुड़ा होगा और गंगा एक्सप्रेसवे- जो दो लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से फर्रुखाबाद तथा जेवर हवाई अड्डे को जोड़ता है।
- मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करके जनता के लिये इसे खोलने की योजना है, तािक श्रद्धालु वर्ष 2025 में प्रयागराज कुंभ के लिये एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकें।
- गोरखपुर <mark>लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर, संत कबीर नगर, आज़मगढ़ और अंबेडकर नगर</mark> जिलों के लिये उत्कृष्ट संपर्क प्रदान करेग**ा**।
 - ♦ ये नए एक्सप्रेसवे राज्य के बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगे।
 - पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और इन नए मार्गों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिये सभी एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर पौधे लगाए जाने चाहिये।

प्रयागराज कुंभ

- कुंभ मेला <mark>यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची</mark> (UNESCO's Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) के अंतर्गत आता है।
- कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह है, जिसके दौरान प्रतिभागी स्नान करते हैं या पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं
 - यह नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, हिरद्वार में गंगा के तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा पौराणिक नदी सरस्वती के संगम स्थल पर होता है। गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम स्थल को 'संगम' कहा जाता है।

सस्टेनेबल सिटीज़ चेलैंज़

चर्चा में क्यों?

पवित्र शहर <mark>वाराणसी</mark> को **डेट्रॉयट और वेनिस (Detroit and Venice)** के साथ **सस्टेनेबल सिटीज़ चेलैं**ज में भाग लेने के लिये विश्व स्तर पर तीन शहरों में से एक के रूप में चुना गया है।

सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज का शुभारंभ समारोह टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु

- सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के भाग के रूप में टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करेगा।
- वाराणसी जहाँ प्रतिवर्ष सात करोड़ से अधिक पर्यटक तथा तीर्थ यात्री आते हैं, शहर को आगंतुकों के लिये अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने हेतु **डेटा-संचालित समाधान** विकसित करने के लिये नवप्रवर्तकों एवं स्टार्टअप्स को आमंत्रित करेगा।
- वाराणसी भीड़ प्रबंधन समाधान विकसित करने हेतु विश्व भर से नवप्रवर्तकों को आमंत्रित कर रहा है।
- जून 2023 में शहरों के लिये आह्वान पहली बार शुरू किये जाने के बाद, विश्व भर के 46 देशों के 150 से अधिक शहरों ने इस चैलेंज में भाग लिया।

डायरिया रोको अभियान

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 1 जुलाई, 2024 को 'डायरिया रोको' अभियान शुरू करने जा रहा है।

प्रमुख बिंदुः

- वर्षा ऋतु में दृषित जल के जमा होने से वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- ऐसी स्थिति में बच्चों को डायरिया हो सकता है जिससे निर्जलीकरण (Dehydration) की समस्या बढ़ जाती है। यह **बीमारी संदूषित** भोजन और जल के माध्यम से फैलती है।
- आशा कार्यकर्त्ता घर-घर जाकर डायरिया से पीडि़त बच्चों के परिवारों को ORS घोल बनाने की विधि सिखाएंगी
- वे ORS और ज़िंक के उपयोग के लाभों के साथ-साथ साफ-सफाई और स्वच्छता के बारे में भी जानकारी देंगे।
- शहरी मिलन बस्तियों, दूर-दराज के क्षेत्रों, खानाबदोशों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवारों और ईंट भट्टों पर रहने वाले परिवारों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डायरिया रोग

- डायरिया को प्रतिदिन तीन या अधिक बार पतला या तरल मल त्यागने (या किसी व्यक्ति के लिये सामान्य से अधिक बार मल त्यागने) के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- डायरिया से उत्पन्न सबसे गंभीर खतरा निर्जलीकरण (Dehydration) है।
 - डायरिया के दौरान, जल और इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट) तरल मल, उल्टी, पसीने,
 मूत्र तथा श्वास के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं।
 - जब इन क्षितियों की पूर्ति नहीं की जाती तो निर्जलीकरण हो जाता है।

